ग्राम पंचायत झुलाडा, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024

भाग-एक

1 **प्रस्तावना**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के फ़लस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 118 में होने व संयुक्त निदेशक एवं उप-सचिव पंचायती राज विभाग के संशोधन पत्र संख्या पीसीएच-एचसी(5)-सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनांक-07-04-2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व हिमाचल प्रदेश, राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत झुलाडा, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा के अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 के लेखों का अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 तक के दौरान ग्राम पचांयत झुलाडा में निम्नलिखित प्रधान एवं सचिव कार्यरत रहे हैं।

प्रधान

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्री चुनी लाल	01-04-2022 से 31.03.2024

सचिव

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री राकेश कुमार	01.04.2022 to 17.10.2022
2.	श्री राजीव कुमार	18.10.2022 to 31.03.2024

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सार

ग्राम पंचायत झुलाडा, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा के अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्र० सं०	पैरा संख्या	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4.3	बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बही एवं बैंक खातों के अन्तशेष में अन्तर पाया जाना	0.58
2	6	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	15.87
3	7.1	पंचायत राजस्व, (गृहकर) की बकाया वसूली न करने बारे।	0.75
4	7.2	विवाह पंजीकरण के विलम्ब शुल्क की वसूली न करने के कारण वित्तीय हानि	0.03
5	8.2	निर्माण /विकास कार्यों पर निर्माण सामग्री का दुरूपयोग करने बारे	0.09
6	8.3	रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती न करने के कारण सरकारी राजस्व की सम्भावित हानि।	4.94
7	8.4	GST की अपेक्षित कटौती न करने के कारण सरकारी राजस्व की सम्भावित हानि।	1.83
8	8.6	बिना अनापति प्रमाण पत्र के अनियमित भुगतान	36.84
9	8.7	मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी व सामग्री को 60:40 के अनुपात में खर्च न करने से सामग्री के ऊपर आपूर्तिकर्ताओं को अनियमित भुगतान करने बारे	16.08
10	9.1	मस्ट्रोलों के व्यय/भुगतान में पाई गई वित्तीय व अन्य अनियमितताओं बारे	1.18
11	9.2	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय।	10.09
12	9.3	सामान/स्टोर की स्टॉक प्रविष्टियाँ व रजिस्टरों का संधारण नियमानुसार न करने बारे	8.92
13	9.4(ii)	सभा निधि से से अनियमित भुगतान करने बारे	0 .09

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत झुलाडा, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा के अवधि 01-04-22 से 31-03-24 के लेखों का प्रथम तथा वर्तमान अंकेक्षण श्री राकेश कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 20-06-2024 से 28-06-2024 तक ग्राम पंचायत झुलाडा के कार्यालय में किया गया। वर्तमान लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	आय चयनित माह	व्यय चयनित माह
1.	2022-2023	09/2022	05/2022
2.	2023-2024	04/2023	06/2023

अस्वीकरण:- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत झुलाडा, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा के अवधि 01-04-22 से 31-03-24 तक के लेखों के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹5600/- आँका गया है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु इसे रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-09 को भेजने हेतु पंचायत सचिव से अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/RK/2024-25/GP JHULADA/ 12 दिनांक:-28.06.2024 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत झुलाडा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

4.1 (क) स्व:-स्त्रोत व अनुदान

ग्राम पंचायत झुलाडा के अवधि 04/2022 से 03/2024 तक स्व:-स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट- 1,2** में भी दिया गया है:-

(i) स्व:-स्त्रोत

वित्तीय वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (₹)
2022-23	**675025**	**181230**	**856255**	**185359**	**670896**
2023-24	**670896**	**92553**	**763449**	**19327**	**744122**

(ii) अनुदान

वित्तीय वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (₹)
2022-23	**3551692**	**10882538**	**14434230**	**11248637**	**3185593**
2023-24	**3185593**	**12876301**	**16061894**	**14474815**	**1587079**

कुल योग (i + ii) = ₹744122+ 1587079 = ₹ 2331201

(ख) ग्राम पचांयत झुलाडा, विकास खण्ड चम्बा जिला चम्बा (हि०प्र०)

दिनांक 31/03/24 को बैंक खातों में अन्तशेष का विवरण

क्रम संख्या	खाता संख्या	शाखा	अनुदान का नाम	राशि (₹)
1	17910107005	HPSCB CHAMBA	SF/SFC/SBM/SDP/SDRF/RELIEF/BASP/13 TH FC /VKVNY/	1924599
2	99050100009256	HPGB	14TH FC	0

		PUKHRI		
3	50100338638848	HDFC CHAMBA	15TH FC	415174
4	99058100039407	HPGB PUKHRI	IWMP	0
5	99051300504839	HPGB PUKHRI	BRGF	0
6	17910108204	HPSCB CHAMBA	IAY/RAY	49152
			Total	2388925

अन्तर (क-ख) **2331201- 2388925** = ₹ -57724

4.2 उपरोक्त वर्णित वित्तीय स्थिति के अनुसार रोकड़ बही व बैंक पासबुक में दिनांक 31-03-2024 को राशि ₹-57724 का अन्तर ग्राम पंचायत द्वारा मासिक बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण था।

4.3 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में ₹0.58 लाख का अन्तर पाया जाना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत द्वारा हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की थी जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-2024 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में ₹ -57724 का अन्तर है, जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा संख्या 4 में दिया गया है।

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-SAD/CBA/RK/2024-25/GP JHULADA/12 दिनांक 27.06.2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा सूचित किया कि "भविष्य में बैंक समाधान विवरणी मासिक आधार पर तैयार की जाएगी एवं वर्तमान अंतर का मिलान करके लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा।"

अतः भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके बैंक एवं रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये। वर्तमान में अन्तर का अति शीघ्र मिलान भी किया जाये तथा वस्तु स्थिति अनुसार कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

5 **अकुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण अतिरिक्त ब्याज की आय से वंचित होना :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है। ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई थी तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था। जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों (स्वः-स्त्रोत) में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है।

अतः भविष्य में नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6 **विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदान ₹15.87 लाख का अवरोधन :-**

पंचायत द्वारा "**परिशिष्ट - 3**" पर अनुदानों से सम्बधित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2023 तक अनुदान से प्राप्त अनुदान राशियों में से **₹1587079** की राशि (रोकड़ बही के अनुसार) उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था। जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओ से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। यह अनियमितता

सम्बन्धित पंचायत के कर्मचारियों व पंचायत प्रतिनिधियों के अकुशल वित्तीय प्रबन्धन को भी इंगित करती है।

इस राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-SAD/CBA/RK/2024-25/GP JHULADA-05 दिनांक 25.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत झुलाडा के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रतियुत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त स्पष्ट किया कि "भविष्य में प्राप्त अनुदान को समय पर खर्च किया जायेगा।" उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अत: अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

7.1 पंचायत राजस्व, गृहकर की बकाया राशि ₹0.75 लाख की वसूली न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव का दायित्व है कि, समस्त राजस्व को नियमित व अविलम्ब रूप से वसूलने व सम्बन्धित ग्राम पंचायत के खातों में समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करें तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव को नियम 77(4) व फॉर्म 10 के अनुसार पंचायत के गृह कर का मांग व संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत सचिव द्वारा सम्पति कर (गृहकर) रजिस्टर को संधारित नहीं किया गया था। जिस कारण सम्पति कर की वार्षिक मांग व गत बकाया बारे पुष्टि नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा धारा 114 के अनुरूप गृहकर का समय पर भुगतान न करने के लिए चूककर्ताओं पर दण्ड लगाने हेतु भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। पंचायत द्वारा पंजीकृत परिवारों के आधार

पर उपलब्ध करवाए गए अभिलेख के अनुसार निम्नलिखित ₹74900/- की राशि वसूली हेतु शेष थी।

31-03-2024 को गृह कर बकाया राशि का विवरण

क्र० स०	वितीय वर्ष	अथशेष	पंजीकृत परिवारों की संख्या	दर प्रति /परिवार	वर्ष के दौरान माँग	कुल योग	वर्ष के दौरान वसूली	वसूली हेतु शेष बकाया राशि
1	**2022-23**	57600	433	20	8660	66260	0	66260
2	**2023-24**	66260	432	20	8640	74900	0	74900

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 03 दिनांक 25-06-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, पंचायत राजस्व की वसूली समय पर की जाएगी। उतर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रभावी निगरानी का द्योतक है जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गैर संग्रहण/हानि हो सकती है। अतः सम्पति/गृहकर की बकाया राशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण के विलम्ब शुल्क की वसूली न करने के कारण राशि ₹0.03 लाख की वित्तीय हानि :-

हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1996 की धारा 22 एवं हि०प्र० सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग की अधिसूचना संख्या WLF-A(3)-1/97, दिनांक 17-12-2004 व SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04-10-2016 एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी पत्र संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marrige-8107-10 दिनांक 28-10-2016 के अनुसार विवाह पंजीकरण का सामान्य श्रेणी हेतु पंजीकरण की धारा 8(1) के प्रावधानों के तहत ₹200 (30 दिन के अंदर) व BPL/IRDP से राशि ₹25 (30 दिन के अंदर) तदोपरांत ₹400 (30 से 90 दिन के अंदर) व BPL/IRDP से राशि ₹50 (30 से 90 दिन के अंदर) की वसूली की जानी अपेक्षित थी एवं वसूली गई फीस को सरकारी राजकोष के प्राप्ति शीर्षक खाता संख्या "0235-00-800-03" में विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जमा की जानी अपेक्षित है।

अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि, **परिशिष्ट – 3** अनुसार उक्त पंचायत सचिव द्वारा वर्ष 2022-23, 2023-24 के विवाह पंजीकरण शुल्क व विलम्ब शुल्क की वसूली नहीं की गई जोकि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है। पंचायत सचिव की लापरवाही के कारण सरकार को राशि ₹2692/- की वितीय हानि हुई तथा विवाह पंजीकरण शुल्क के तौर पर वसूली गई राशि को सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाया गया है अपितु इसे बैंक के निधि खाते में रखा गया है जोकि उक्त नियमानुसार अनुचित है।

इस सम्बन्ध में जारी अधियाचना संख्या-04 दिनांक 25-06-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि "विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली कर ली जाएगी।" अत: उपरोक्त राशि को सम्बन्धित खाते/कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न की जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

8.1 निर्माण कार्यों से सम्बंधित स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राक्कलन मापन पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, मापन पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान कनिष्ट अभियंता स्तर पर करवाए गए विकास/निर्माण कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश, प्राक्कलन,मापन पुस्तिका इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिसके अभाव में उक्त कर्मचारियों के स्तर पर किये गए कार्यों व उसमे प्रयुक्त सामग्री/लेबर के व्यय,खपत,सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 09 दिनांक 27-06-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि उक्त अभिलेख अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जायेगे। अतः उक्त अभिलेखों को अंकेक्षण

में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.2 निर्माण /विकास कार्यों पर राशि ₹0.09 लाख का निर्माण सामग्री का दुरूपयोग करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 101 से 107 में निर्माण कार्य के निष्पादन से सम्बंधित नियम प्रावधित हैं।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा करवाए जा रहे निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु सामग्री का क्रय किया गया था तथा माप पुस्तिका संख्या 37859 पृष्ठ संख्या 7 व 8 की जांच करने पर पाया गया कि निर्माण कार्य पर 7.4 घन मीटर रेट तथा 14.80 घन मीटर बजरी उपयोग में लाई गई थी जबकि प्रारूप 34 अनुसार पंचायत द्वारा 8.25 घन मीटर रेट व 16.50 घन मीटर बजरी क्रय की गई थी जो बची हुई निर्माण सामग्री स्टॉक रजिस्टर में नही पाई गई थी तथा पंचायत द्वारा उक्त सामग्री की वस्तुस्थिति के बारे में भी अंकेक्षण को अवगत नही करवाया गया जिससे कि सामग्री के दुरूपयोग से नकारा नही जा सकता।

कार्य का नाम	**सामग्री**	**माप पुस्तिका अनुसार प्रमाणिक खपत (m3)**	**प्रारूप 34 अनुसार क्रय की गई सामग्री**	**अंतर**	**दर /m3**	**राशि**
निर्माण कार्य ड्रेन जीपीएस भटका	रेत	7.4	8.25	0 .85	3200	2720
	बजरी	14.80	16.50	1.7	3400	5780
					Total	**8500**

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-SAD/CBA/RK/2024-25/GP JHULADA/12 दिनांक 27.06.2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि "उक्त अनुचित भुगतान की वसूली कर ली जाएगी।"

अतः उक्त अनुचित भुगतान की वसूली करके सम्बंधित निधि /कोष में जमा करके अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए ।

8.3 ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से रॉयल्टी न वसूलने के कारण सरकार को ₹4.94 लाख के राजस्व की सम्भावित वित्तीय हानि :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स (कन्सेशन) एवं मिनरल्स (प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग ट्रान्सपोटेशन एन्ड स्टोरेज) नियमावली 2015 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार विकास/निर्माण कार्यों पर उपयोग की जाने वाली सामाग्री के लिए ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता को खनन विभाग से अन्नापति प्रमाण पत्र X-फार्म प्राप्त कर सम्बन्धित पंचायत को देना अनिवार्य है तथा पंचायत द्वारा अखबार में प्रकाशित निविदाओं में फॉर्म –X/M न होने की दशा में रॉयल्टी की कटोती करने हेतु भी प्रावधान रखा था। इसके अतिरिक्त उद्योग विभाग चंबा के पत्र संख्या 902 दिनांक 18-02-2022 के अंतर्गत समस्त विकास खण्ड कार्यालयों को संशोधित मूल्य अनुसार रॉयल्टी काटने के आदेश जारी किये गए थे।

परन्तु ग्राम पंचायत झुलाडा, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा की अंकेक्षण अवधि 04/2022 से 03/2024 के अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण एवं पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर पाया गया कि पंचायत द्वारा उक्त नियमों एवं आदेशों की पूर्णतः अवहेलना की जा रही है । पंचायत द्वारा ठेकेदारों से न तो कोई अन्नापति प्रमाण पत्र/X-फॉर्म लिया गया जिस कारण आपूर्तिकर्ताओं /ठेकेदारों को राशि ₹3835375.00 का अनियमित भुगतान किया गया और न ही रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती की गई। जिससे कि, सरकार को जुर्माना सहित राशि ₹493832/- (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट "4"** में दिया गया है।) की संभावित वित्तीय हानि हुई।

इस गम्भीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/RK/2024-25/GP JHULADA/08 दिनांक 27-06-2024 द्वारा स्थिति स्पष्ट

करने को कहा गया। जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि, उक्त क्रय सामग्री हेतु रॉयल्टी की कटौती सम्बन्धित संविदाकारों से करके एवं उसे सरकारी कोष में जमा करवा कर कृत कार्रवाई से विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा एवं आगामी भविष्य में / X फॉर्म न होने की स्थिति में नियमानुसार रॉयल्टी की कटौती की जायेगी एवं उसे समयबद्ध सरकारी कोष में भी जमा करवा दिया जायेगा।

अत: उक्त प्रकरण से न केवल सरकारी राजस्व का वित्तीय रिसाव प्रतीत हो रहा है अपितु इस प्रकार से अवैध खनन से सरकारी आदेशों की भी स्पष्ट अवहेलना की जा रही है। यह एक गम्भीर अनियमितता है जो उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है। अत: इस अनियमितता को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा उद्योग विभाग के नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाये एवं कृत कार्रवाई/अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.4 प्रॉपर/टैक्स बिलों पर भुगतान न करने के कारण सरकारी राजकोष को वस्तु एवं सेवाकर (GST) के तौर पर राशि ₹1.83 लाख की सम्भावित वित्तीय हानि बारे :-

केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार रेत, बजरी एवं पत्थर इत्यादि पर 5% की दर से GST का भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के अभिलेखों के नमूना/चयनित अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान आपूर्तिकर्ता का GST धारक होने पर वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 हेतु निविदा स्वीकृत की गई थी परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा इन्हें राशि ₹3835375 /- का भुगतान (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट "4"** में दिया गया है।) किसी प्रॉपर/कंप्यूटर जेनरेटड/टैक्स बिल पर न करके एक सादे कागज़ पर कर दिया गया है। तथा न ही पंचायत द्वारा किसी भी तरह के GST को सरकारी खजाने में जमा करने सम्बंधित चालान अंकेक्षण को प्रस्तुत किये गये जिससे इन बिलों की सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। यह न केवल अनुचित प्रक्रिया है अपितु एक प्रॉपर टैक्स बिल के अभाव में सरकार को देय वस्तु

व सेवा कर (GST) के तौर पर लगभग राशि ₹182636.90 की सम्भावित वित्तीय हानि भी हुई है।

इस गंभीर अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/RK/2024-25/GP JHULADA/08 दिनांक 27-06-2024 के प्रत्युतर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि, GST की कटौती आपूर्तिकर्ताओं से वसूल कर ली जाएगी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है इससे ऐसा प्रतीत होता है कि पंचायत द्वारा गठित उप-क्रय समिति द्वारा कुटेशनों एवं क्रय के समय बिलों की उचित जांच पड़ताल नहीं की गई जिससे कि उक्त आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित तरीके से भुगतान प्राप्त किया गया जिससे कि सरकार को वस्तु एवं सेवा कर की वित्तीय हानि होने के साथ-साथ किया गया भुगतान भी संदिग्ध प्रतीत होता है जोकि एक अत्यंत गंभीर वित्तीय अनियमितता है। अत: उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में बिना टैक्स बिल के भुगतान करने का औचित्य तथ्यों सहित स्पष्ट किया जाये एवं उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा यदि कोई उक्त बिलों के समबन्ध में कर भुगतान किया गया हो तो उनका साक्ष्य अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ अंकेक्षण विभाग को शीघ्र प्रेषित किया जाये अन्यथा नियमविरुद्ध किये गए भुगतानों पर देय कर की पूर्ण गणना उपरान्त राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके समबन्धित खाते/कोष में जमा करवाई जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को भी अवगत करवाया। यह गंभीर प्रकरण उच्चाधिकारियों के समक्ष इस आशय से लाया जाता है कि; ऐसे प्रकरणों की गहन जांच की जाये ताकि किसी भी प्रकार से सार्वजानिक धन के दुरूपयोग एवं कर अदेयता के मामलों की सम्भावना को पूर्णत: नकारा जा सके।

8.5 ठेकेदारों/संविदाकार से टी.डी.एस. की कटौती न करने के कारण सरकार को राशि ₹0.04 लाख की वित्तीय हानि बारे :-

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194(C) के अनुसार यदि कार्य को करने पर किसी ठेकेदार को एक वित्तीय वर्ष में ₹100000/- या अधिक की अदायगी अथवा एक बार में ₹30000/- या अधिक की अदायगी की जाती है ; तो भुगतानकर्ता/आहरण व संवितरण अधिकारी, ठेकेदार/संविदाकार के बिल पर आय स्त्रोत पर (TDS) व्यक्ति के

दशा में 1% तथा फर्म के दशा में 2% आयकर के कटौती करेगा तथा के गई कटौती को सरकारी कोष में समयबन्ध तिथि को जमा करवाएगा। आय स्त्रोत पर की गई कटौती की राशि को आयकर विभाग के '**<u>प्राप्ति शीर्ष</u>**' में निर्धारित समयावधि में जमा किया जाना आवश्यक है; अन्यथा दंडात्मक ब्याज के प्रावधान लागू होंगे।

ग्राम पंचायत के अभिलेखों की नमूना/चयनित जांच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नविवरणानुसार विभिन्न संविदाकारों/फर्मों को कुल राशि ₹368200.00/- का भुगतान किया गया। परन्तु उक्त भुगतान करते समय की राशि का स्त्रोत पर कर कटौती (TDS) नहीं की गई थी। जोकि आयकर अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के अवहेलना है, इसके फलस्वरूप सरकारी राजस्व में राशि ₹3682.**00**/- की वित्तीय हानि सम्बंधित कर्मचारी की लापरवाही के कारण हुई। इसके लिये संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाये ताकि भविष्य में इस प्रकार के गलती की पुनरावृत्ति न हो।

SR. No	**Voucher No./Date**	**Name of Fund**	**Particular/ Detail Of Party**	**Discription of item**	**Amount**	**TDS Amount**
1	15,16,17,18/nil	VKVNY	SURESH KUMAR GOVT CONT	JCB WORKS	196000	1960.00
2	21,22,23,24/nil	15th fc	SURESH KUMAR GOVT CONT	JCB WORKS	172200	1722.00
				Total	**368200**	**3682.00**

इस अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/RK/2024-25/JHULADA/12 दिनांक 27-06-2024 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया। जिसके प्रत्तुयुत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि भविष्य में नियमानुसार टी.डी.एस. की कटौती नियमित तौर पर की जायेगी।

अत: पंचायत द्वारा टी.डी.एस की कटौती न करना न केवल आयकर अधिनियम की अवहेलना है परन्तु सप्लाईर/ठेकेदार को अनुचित लाभ देकर सरकारी राजस्व की भी हानि है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह स्पष्ट किया जाता है कि; अंकेक्षण द्वारा केवल चयनित माहों के ही भुगतानों को जांचा गया है। शेष अवधि में हुए ऐसे भुगतानों की जाँच करके अपेक्षित टी.डी.एस.की वसूली करना सुनिश्चित करें एवं भविष्य में टी.डी.एस. की कटौती नियमित रूप से करके सरकारी कोष में निर्धारित समयावधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.6 बिना अनापति प्रमाण पत्र के राशि ₹36.84 लाख का अनियमित भुगतान:-

अंकेक्षण के दौरान चयनित माहों की जांच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्नलिखित विवरण अनुसार सड़क निर्माण कार्य करवाए जा रहे थे किन्तु पंचायत द्वारा सम्बंधित विभाग से उक्त कार्यों को करवाने हेतु अनापति प्रमाण पत्र जैसे वन विभाग से FRA/FCA तथा रेवेन्यु विभाग से अनापति प्रमाण पत्र व कनिष्ट अभियंता द्वारा माप पुस्तिका व कार्य प्राकलन इत्यादि अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किये गये इसके अतिरिक्त पोधारोपण के कार्यों हेतु उद्यान विभाग का अनापति प्रमाण पत्र भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया गया जिस कारण किये गये भुगतान की सत्यता की पुष्टि नही कि जा सकी।

(क)

क्र०सं०	मद	कार्य का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत राशि
1	Mgnrega	कार्य निर्माण एम्बुलेंस सड़क मुख्य मुख्य सडक से तथार	2022-23	999432

2	Mgnrega	कार्य निर्माण एम्बुलेंस सड़क नोतोड़ से बानाड	2022-23	900598
3	Mgnrega	कार्य निर्माण एम्बुलेंस सड़क मुख्य सडक से डुघ	2022-23	897315
			कुल	2797345

ख) 0

वाउचर संख्या	मद	आपूर्तिकर्ता का नाम	सामग्री का विवरण	राशि (₹)
60 dated-31.12.21	Mgnrega	vishal nursery Kotkhai Shimla	red velox plants	49980.0
62 dated-31/12/2021	Mgnrega	vishal nursery Kotkhai Shimla	red velox plants	49980
63 dated-31/12/2021	Mgnrega	vishal nursery Kotkhai Shimla	red velox plants	49980
64dated-31/12/2021	Mgnrega	vishal nursery Kotkhai Shimla	red velox plants	49980
65 dated-31/12/2021	Mgnrega	vishal nursery Kotkhai Shimla	red velox plants	49980
66 dated-31/12/2021	Mgnrega	vishal nursery Kotkhai Shimla	red velox plants	49980
67 dated-31/12/2021	Mgnrega	vishal nursery Kotkhai Shimla	red velox plants	49980
69dated-31/12/2021	Mgnrega	vishal nursery Kotkhai Shimla	red velox plants	49980
70 dated-	Mgnrega	vishal nursery Kotkhai Shimla	red velox	49980

31/12/2021			plants	
71 dated- 31/12/2021	Mgnrega	vishal nursery Kotkhai Shimla	red velox plants	49980
72 dated- 31/12/2021	Mgnrega	vishal nursery Kotkhai Shimla	red velox plants	49980
63 dated- 31/12/2021	Mgnrega	vishal nursery Kotkhai Shimla	red velox plants	49980
74 dated- 31/12/2021	Mgnrega	vishal nursery Kotkhai Shimla	red velox plants	34680
75 dated- 31/12/2021	Mgnrega	vishal nursery Kotkhai Shimla	red velox plants	17000
102 dated- 31/12/2021	Mgnrega	vishal nursery Kotkhai Shimla	red velox plants	30600
103 dated- 31/12/2021	Mgnrega	vishal nursery Kotkhai Shimla	red velox plants	30600
105 dated- 31/12/2021	Mgnrega	vishal nursery Kotkhai Shimla	red velox plants	30600
106 dated- 31/12/2021	Mgnrega	vishal nursery Kotkhai Shimla	red velox plants	30600
107 dated- 31/12/20221	Mgnrega	vishal nursery Kotkhai Shimla	red velox plants	30600
108 dated- 31/12/2021	Mgnrega	vishal nursery Kotkhai Shimla	red velox plants	30600
109 dated- 31/12/2021	Mgnrega	vishal nursery Kotkhai Shimla	red velox plants	52020
			कुल	887060
			कुल (क)+(ख)	3684405

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 12 दिनांक 27.06.2024 के द्वारा उक्त प्रकरण को वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु सचिव, ग्राम पंचायत झुलाडा के ध्यानार्थ लाया गया था जिसके प्रतियुत्तर में सचिव द्वारा उपरोक्त सभी तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि "उक्त अनापति प्रमाण पत्रों को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा व वर्णित अनियमितताओं की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं की जायेगी तथा कृत कार्रवाई से अवगत करवा दिया जायेगा।"

अत: इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

8.7 मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी व सामग्री को 60:40 के अनुपात में खर्च न करने से सामग्री के ऊपर आपूर्तिकर्ताओं को राशि ₹16.08 लाख का अनियमित भुगतान करने बारे :-

मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश 2013 (Mnrega Opretional Guidelines 2013) नियम 7.4 के अंतर्गत पंचायत स्तर पर मजदूरी व सामग्री को 60:40 के अनुपात में खर्च किये जाने के नियम प्रावधित हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास विभाग हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या एस ० एम० एस० -8/2010-11-आरडीडी फण्ड दिनांक 18 जून 2011 के अंतर्गत मजदूरी घटक तथा गैर मजदूरी घटक से अनुपात अधिनियम में निर्धारित 60:40 (मजदूरी व सामग्री) के न्यूनतम मापदंड से कम नहीं होना चाहिए।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा उपलब्ध सुचना अनुसार मजदूरी के ऊपर कम अनुपात में व्यय किया गया था तथा सामग्री के उपर ज्यादा अनुपात में व्यय किया गया था जोकि मनरेगा नियमों तथा मनरेगा अधिनियम के मूल उदेश्यों की अवहेलना थी जांच के दौरान यह भी पाया गया कि सामग्री जैसे (पत्थर) की तुड़ाई व् ढूलाई मजदूरों से न करके आपूर्तिकर्ताओं से करवाई जा रही थी जिस कारण काम करने वाले मजदूरों को कम कार्य दिवस मिले तथा आपूर्तिकर्ताओं/ ठेकेदारों को अप्रत्यक्ष लाभ दिया गया प्रतीत होता है जोकि अनियमित व अनुचित था पंचायत द्वारा उपलब्ध सूचना अनुसार निम्नलिखित अनुपात में भुगतान किया गया था

वर्ष	मनरेगा के अंतर्गत किया गया कुल व्यय राशि (₹ लाख में)	मजदूरी पर खर्च की गई राशि (₹ लाख में)	सामग्री पर खर्च की गई राशि (₹ लाख में)	व्यय जो अनुपात में किया जाना था राशि (₹ लाख में)		सामग्री हेतु किया गया अधिक / अनुचित भुगतान (40% से अधिक) राशि (₹ लाख में)
				मजदूरी	सामग्री	
2022-23	110.13	50 (45.40%)	60.13 (54.60%)	66.07	44.05	16.08

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 12 दिनांक 27-06-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि " भविष्य में इस तरह की अनियमितता को नही दोहराया जायेगा।" दिया गया उत्तर तर्कसंगत नही है क्यूंकि उक्त मजदूरी व सामग्री पर किया गया व्यय अनुपात में न होने के कारण मजदूरों को रोजगार के लिए कम मिले अतः उक्त दिशा निर्देशों की अवहेलना करने पर तथा सामग्री पर किये गये अधिक व्यय को न्यायोचित ठहराते हुए सक्षम अधिकारी से स्वीकृति ली जानी सुनिश्चित की जाए अन्यथा सामग्री पर किये गये अनियमित / अधिक भुगतान की प्रतिपूर्ति सम्बंधित से वसूल करके उचित स्त्रोत में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा उक्त अनियमितता को विशेष रूप से उचाधिकारियों के ध्यानार्थ लाया जाता है।

9.1 ₹1.18 लाख के मस्ट्रोलों के भुगतान में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1)(2) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा पारित भुगतान ग्राम पंचायत के प्रधान और संबद्ध सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित है । इसके अत्तिरिक्त इस अधिनियम के नियम 93(क) एवं अधिनियम 1994 की धारा 23 के अधीन गठित संकर्म समिति एवं नियम 108 के अनुसार सतर्कता समिति पंचायत द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेगी।

ग्राम पंचायत झुलाडा के लेखों की नमूना/चयनित माहों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा अग्रतालिका के विवरणानुसार व्यय किया गया था जिसमें निम्नलिखित विभिन्न अनियमिततायें पाई गई :-

1. संकर्म समिति, सतकर्ता समिति के सदस्यों के मस्ट्रोल पर हस्ताक्षर नहीं करवाये गए थे। जबकि उक्त वर्णित नियमानुसार पंचायत स्तर के विभिन्न संकर्मों के निष्पादन हेतु उक्त दोनों समितियों का होना व हस्ताक्षर करना आवश्यक है। इसके बिना पंचायत स्तर के कार्यों की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकती।

2. बिना पे-ऑर्डर एवं प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही भुगतान कर दिया गया था। जोकि उपरोक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है। जबकि उक्त नियमानुसार कोई भी संदाय/भुगतान इसमें वर्णित प्रावधानों के बिना नहीं हो सकता था।

3. मस्ट्रोल में दर्ज कुल मजदूरों की उपस्थिति को प्रधान/सम्बन्धित वार्ड सदस्य द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। जोकि उनकी वास्तविक उपस्थिति की पुष्टि को सन्देहजनक बनाता है।

मस्टरोल संख्या	रोकड़ बही पृष्ट संख्या /दिनांक	राशि	विवरण	मद	कार्य का नाम
39523	15 /CBP-91	117984	LABOUR PAYMENT	5TH SFC	C/O RURAL ROAD JHULADA TO KAMLADU
	Total	117984			

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 10 दिनांक 27.06.2024 के द्वारा उक्त प्रकरण को वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु सचिव, ग्राम पंचायत झुलाडा के ध्यानार्थ लाया गया था जिसके प्रतियुत्तर में सचिव द्वारा उपरोक्त सभी तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा

कि "उक्त वर्णित अनियमितताओं की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं की जायेगी तथा कृत कार्रवाई से अवगत करवा दिया जायेगा।"

अत: इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

9.2 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही ₹10.09 लाख के स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते व नियम 2002 के नियम 67(4),67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की औपचारिकतायें यथा निविदायें,(Tenders) कुटेशन (Quatations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची ,आपूर्ति आदेश इत्यादि प्रावधित है तथा इसके अतिरिक्त पंचायत के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत झुलाडा द्वारा राशि ₹1009509/- के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। उक्त राशि की सामग्री व सेवाओं का क्रय औपचारिकतायें पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जिससे कि ग्राम पंचायत को न केवल बाजारी प्रतिस्पर्धा के लाभ से वंचित होना पड़ा बल्कि पंचायती राज अधिनियम 2002 के नियमों की अवहेलना भी की गई जोकि एक गंभीर अनियमितिता है।

क्र० सं	वाउचर संख्या /दिनांक	निधि का नाम	विवरण	मद का विवरण	राशि (₹)
1	32/23.11.22	SF	RAKSHU ENTERPRISES NEAR BALOO	PILLER HEATER	**5000**
2	13/29.08.23	15th fc	AST HOME DÉCOR BUS STOP SAROL	PVC PENEL INCLUDING FITTING	**117448.5**
3	60 dated- 31.12.21	mnrega	vishal nursery Kotkhai Shimla	red velox plants	**49980.0**

4	62 dated-31/12/2021	mnrega	vishal nursery Kotkhai Shimla	red velox plants	49980
5	63 dated-31/12/2021	mnrega	vishal nursery Kotkhai Shimla	red velox plants	49980
6	64dated-31/12/2021	mnrega	vishal nursery Kotkhai Shimla	red velox plants	49980
7	65 dated-31/12/2021	mnrega	vishal nursery Kotkhai Shimla	red velox plants	49980
8	66 dated-31/12/2021	mnrega	vishal nursery Kotkhai Shimla	red velox plants	49980
9	67 dated-31/12/2021	mnrega	vishal nursery Kotkhai Shimla	red velox plants	49980
10	69dated-31/12/2021	mnrega	vishal nursery Kotkhai Shimla	red velox plants	49980
11	70 dated-31/12/2021	mnrega	vishal nursery Kotkhai Shimla	red velox plants	49980
12	71 dated-31/12/2021	mnrega	vishal nursery Kotkhai Shimla	red velox plants	49980
13	72 dated-31/12/2021	mnrega	vishal nursery Kotkhai Shimla	red velox plants	49980
14	63 dated-31/12/2021	mnrega	vishal nursery Kotkhai Shimla	red velox plants	49980
15	74 dated-31/12/2021	mnrega	vishal nursery Kotkhai Shimla	red velox plants	34680
16	75 dated-31/12/2021	mnrega	vishal nursery Kotkhai Shimla	red velox plants	17000
17	102 dated-31/12/2021	mnrega	vishal nursery Kotkhai Shimla	red velox plants	30600
18	103 dated-31/12/2021	mnrega	vishal nursery Kotkhai Shimla	red velox plants	30600

19	105 dated-31/12/2021	mnrega	vishal nursery Kotkhai Shimla	red velox plants	30600
20	106 dated-31/12/2021	mnrega	vishal nursery Kotkhai Shimla	red velox plants	30600
21	107 dated-31/12/20221	mnrega	vishal nursery Kotkhai Shimla	red velox plants	30600
22	108 dated-31/12/2021	mnrega	vishal nursery Kotkhai Shimla	red velox plants	30600
23	109 dated-31/12/2021	mnrega	vishal nursery Kotkhai Shimla	red velox plants	52020
				Total	**1009509**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 07 दिनांक 27-06-2024 द्वारा उक्त प्रकरण वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु सचिव, ग्राम पंचायत झुलाडा के ध्यानार्थ लाया गया था जिसके प्रतियुत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि "भविष्य में सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करके ही क्रय किया जायेगा।" प्रस्तुत उत्तर तर्कसंगत नहीं है।

अतः इस अनियमितता की सक्षम अधिकारी से कार्योतर स्वीकृति लेकर इस व्यय को नियमित करवाया जाए अन्यथा आवश्यक विधिवत औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना, की गई खरीद से हुई हानि की प्रतिपूर्ति को उचित स्त्रोत से वसूल कर सम्बधित निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

9.3 राशि ₹8.92 लाख के सामान/स्टोर की स्टॉक प्रविष्टियाँ व रजिस्टरों का संधारण नियमानुसार न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के चैप्टर-8 नियम 69 के अनुसार सारा स्टोर (सामान) जब प्राप्त किया जाता

है,परिदान के समय ,उसका यथास्थिति,परिक्षण, गणना,माप या तोल किया जायेगा और तुरंत स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट किया जायेगा। किसी एकल दिवस की प्रविष्टियों के अंत में यथास्थिति ग्राम पंचायत सचिव द्वारा स्टॉक (सामान) उचित स्थिति का प्रमाण पत्र दिया जायेगा। अधिशेष यदि कोई है; का विवरण और कोई कमी (यदि कोई है) लाल स्याही से उपदर्शित की जायेगी।

परन्तु पंचायत के नमूना/चयनित अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राशि ₹892060.00 के स्टॉक/स्टोर का क्रय किया गया था किन्तु उक्त की स्टॉक प्रविष्टी नही की गई थी।

क्र० सं	**वाउचर संख्या /दिनांक**	**निधि का नाम**	**विवरण**	**मद का विवरण**	**राशि (₹)**
1	32/23.11.22	SF	RAKSHU ENTERPRISES NEAR BALOO	PILLER HEATER	5000
2	60 dated- 31.12.21	mnrega	vishal nursery Kotkhai Shimla	red velox plants	**49980.0**
3	62 dated- 31/12/2021	mnrega	vishal nursery Kotkhai Shimla	red velox plants	49980
4	63 dated- 31/12/2021	mnrega	vishal nursery Kotkhai Shimla	red velox plants	49980
5	64dated- 31/12/2021	mnrega	vishal nursery Kotkhai Shimla	red velox plants	49980
6	65 dated- 31/12/2021	mnrega	vishal nursery Kotkhai Shimla	red velox plants	49980
7	66 dated- 31/12/2021	mnrega	vishal nursery Kotkhai Shimla	red velox plants	49980
8	67 dated- 31/12/2021	mnrega	vishal nursery Kotkhai Shimla	red velox plants	49980
9	69dated-	mnrega	vishal nursery Kotkhai	red velox	49980

	31/12/2021		Shimla	plants	
10	70 dated- 31/12/2021	mnrega	vishal nursery Kotkhai Shimla	red velox plants	49980
11	71 dated- 31/12/2021	mnrega	vishal nursery Kotkhai Shimla	red velox plants	49980
12	72 dated- 31/12/2021	mnrega	vishal nursery Kotkhai Shimla	red velox plants	49980
13	63 dated- 31/12/2021	mnrega	vishal nursery Kotkhai Shimla	red velox plants	49980
14	74 dated- 31/12/2021	mnrega	vishal nursery Kotkhai Shimla	red velox plants	34680
15	75 dated- 31/12/2021	mnrega	vishal nursery Kotkhai Shimla	red velox plants	17000
16	102 dated- 31/12/2021	mnrega	vishal nursery Kotkhai Shimla	red velox plants	30600
17	103 dated- 31/12/2021	mnrega	vishal nursery Kotkhai Shimla	red velox plants	30600
18	105 dated- 31/12/2021	mnrega	vishal nursery Kotkhai Shimla	red velox plants	30600
19	106 dated- 31/12/2021	mnrega	vishal nursery Kotkhai Shimla	red velox plants	30600
20	107 dated- 31/12/20221	mnrega	vishal nursery Kotkhai Shimla	red velox plants	30600
21	108 dated- 31/12/2021	mnrega	vishal nursery Kotkhai Shimla	red velox plants	30600
22	109 dated- 31/12/2021	mnrega	vishal nursery Kotkhai Shimla	red velox plants	52020
				Total	892060

इस अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/RK/2024-25/GP JHULADA/11 दिनांक 27-06-2024 द्वारा, सचिव को अवगत करवाया गया। इस सम्बन्ध में सचिव के द्वारा कि भविष्य में उक्त अनियमितता को नही दोहराया जायेगा।

अतः नियमों के विरुद्ध अपनाई गई इस कार्यप्रणाली बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में नियमानुसार क्रय किये गए सामान के स्टॉक प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें एवं उक्त स्टॉक की प्रविष्टि करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.4 (i) सभा निधि से राशि ₹0.03 लाख का अनुचित भुगतान करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 46 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा किये जाने वाले खर्चों को मितव्ययिता के साथ किये जाने के नियम प्रावधित हैं ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा सभा निधि से निम्न विवरण अनुसार आपूर्तिकर्ता से सेवाएँ ली गई थी किन्तु यह पता लगाना मुश्किल था कि उक्त सेवाएं किस प्रयोजन हेतु ली गई वह सेवाओं की विषय वस्तु क्या थी तथा किस प्रयोजन हेतु सेवाओं का लाभ लिया गया था जोकि अनुचित प्रतीत होता है।

क्र० सं	**वाउचर संख्या /दिनांक**	**निधि का नाम**	**विवरण**	**सामग्री का विवरण**	**राशि**
1	02/11.05.22	SF	STAFFI CYBER MAGIC BILL NO 204 DATED :-23.04.22	SERVICE	2950

अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/RK/2024-25/GP JHULADA/12 दिनांक 27-06-2024 द्वारा सचिव ,ग्राम पंचायत को इस बारे में स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था। इसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि इस अनियमितता को भविष्य में नही दोहराया जायेगा तथा उक्त राशि की वसूली कर ली जाएगी। अतः उक्त किये गये भुगतान की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए व भविष्य में इस तरह की अनियमितता को न दोहराया जाए ।

ii) सभा निधि से राशि ₹0.09 लाख का अनियमित भुगतान करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 46 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा किये जाने वाले खर्चों को मितव्ययिता के साथ किये जाने के नियम प्रावधित हैं ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा सभा निधि से निम्न विवरण अनुसार तिरंगा झंडा खरीद हेतु भुगतान किया गया था जिसका हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम में कोई प्रावधान नही होता जोकि अनियमित प्रतीत होता है। जोकि एक गम्भीर वितीय अनियमितता है।

क्र० सं	वाउचर संख्या /दिनांक	निधि का नाम	विवरण	बिल संख्या	दिनांक	सामग्री का विवरण	राशि
1	28/01.09.22	SF	DPO CHAMBA	nil	nil	FLAG	8850
						Total	8850

अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/RK/2024-25/GP JHULADA/12 दिनांक 27-06-2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे में स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था। इसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि इस अनियमितता को भविष्य में नही दोहराया जायेगा तथा उक्त राशि की वसूली कर ली जाएगी। अतः उक्त किये गये भुगतान की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए व भविष्य में इस तरह की अनियमितता को न दोहराया जाए ।

10.1 रोकड़ बहियों का रख-रखाव/संधारण नियमानुसार न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रोकड़ बहियों का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का संधारण उचित तरीके से नहीं किया जा रहा है। रोकड़ बहियों में न तो प्रगतिशील योग किये गए हैं और न ही अथशेष व अंतशेष दर्शाए गए है ओर न ही ऑनलाइन रोकड़ बहियों को अंकेक्षण में उपलब्ध करवाया गया, जिससे कि पंचायत की वितीय स्थिति में अथशेष पंचायत द्वारा बनाई गई परीक्षा संतुलन सूची से लिए गए हैं जोकि उचित प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति में बैंक से किये जा रहे लेन-देन पर भी कोई नियन्त्रण नहीं रह जाता तथा रोकड़बही, बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाती। ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा बनाई जा रही आय-व्यय तालिका तथा संतुलन पत्र की मदें भी विश्वसनीय नहीं रह जाती तथा इसमें अनिधिकृत समायोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस सन्दर्भ में जारी अधियाचना संख्या-12 दिनांक 27-06-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि, भविष्य में रोकड़ बहियों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा एवं ऑनलाइन रोकड़ बहियों को पंचायत अभिलेख में रख लिया जायेगा। अतः भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

10.2 राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में पंचायत द्वारा सभी चल-अचल सम्पतियों को दर्ज न करने बारे :-

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न एप्लिकेशन्स हैं जिनसे

पंचायत की दैनिक कार्रवाई जैसे कि पंचायत द्वारा की गई सेवाओं, सामान के खरीद, भुगतान एवं पंचायत की सभी चल-अचल सम्पतियों का (उनके वास्तविक मूल्य पर) इन्द्राज करना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत झुलाडा के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में पंचायत द्वारा अर्जित सभी चल-अचल सम्पतियों एवं किये गए कार्यों को इन्द्राज/दर्ज नहीं किया गया था। जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि तक कई कार्यों को पूर्ण किया गया था। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी कार्य उक्त एप्लीकेशन में नहीं किया जा रहा था जोकि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पूर्णतया अवहेलना है। जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए

10.3 खाता "क" तथा "ख" को अलग से नियमानुसार संधारित न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सम्परीक्षा, संकर्म, कराधान एवं भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 4 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्त्रोत) के लिए खाता "क" तथा अनुदानों और विशेष प्रयोजनों के लिए खाता "ख" अलग-अलग से खोले जाने अपेक्षित हैं।

वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्त्रोत) के खाते को पृथक नहीं रखा गया था। अपितु अन्य अनुदानों जैसे जिला, DPO 5th स्टेट व SFC का पंचायत द्वारा स्व-स्त्रोत के साथ एक ही बैंक खाता व एक ही रोकड़बही में संधारण किया जा रहा है। जोकि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 12 दिनांक 27-06-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत झुलाडा द्वारा सूचित किया कि, पंचायत के स्व स्त्रोत आय व्यय के लिए पृथक बैंक खाता खुलवा लिया जाएगा।

अत: इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.4 पंचायत द्वारा ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, प्राप्ति एव भुगतान इत्यादि अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न अभिलेख जैसे ट्रायल बैलेंस ,बैलेंस शीट, प्राप्ति एव भुगतान, बैंक सर्टीफिकेट इत्यादि अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नही किये गये जिस कारण पंचायत के उक्त अभिलेखों को प्रमाणित नही क्या जा सका।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-12, दिनांक :-27-06-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया कि, पंचायत उक्त अभिलेखों को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। दिया गया उत्तर तर्कसंगत प्रतीत नही होता है क्यूंकि उक्त अभिलेखों को वर्तमान में प्रस्तुत करना था। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.5 PRIYA SOFTWARE में संधारित लेखों तथा MANNUAL संधारित लेखों में ₹0.45 लाख के अन्तर बारे :-

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में E-PANCHAYT मिशन प्रोजेक्ट (MPP) प्रारम्भ की गई तथा जिसका क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग हि०प्र० कर रहा है। इस योजना के क्रियान्वयन के साथ-साथ हि०प्र० पंचायती राज नियम (सामान्य) 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्टरों को कागज़ रहित प्रणाली के अंतर्गत E-PANCHAYAT में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण मैनुअल तथा प्रिया सॉफ्टवेयर दोनों माध्यमों से किया जा रहा है तथा जो लेखे PRIYA सॉफ्टवेयर में बनाये गए थे वह मैन्युअल रोकड़ बही लेखों व बैंक खातों से मेल नहीं खाते फलस्वरूप दिनांक 31-03-2024 को PRIYA सॉफ्टवेयर व मैनुअल लेखों में निम्नविवरणानुसार राशि ₹45769.32 का अन्तर पाया गया

31-03-2024 को PRYA सॉफ्टवेयर व मैनुअल लेखों संधारित लेखों (रोकड़ बही) में अन्तशेष
31-03-2024 को PRYASOFT में संधारित रोकड़ बही का अन्तशेष ₹2376970.32
31-03-2024 को पंचायत द्वारा मेनुअल संधारित रोकड़ बही का अन्तशेष ₹ **2331201**.00
अन्तर 45769.32

उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर ऐसा प्रतीत होता है कि पंचायत सचिव द्वारा PRIYA सॉफ्टवेयर में आंकड़े सही ढंग से संधारित नहीं किये जा रहे हैं, जोकि उक्त नियमों के स्पष्ट अवहेलना है इस सम्बन्ध में सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/RK/2024-25/GP JHULADA/12 दिनांक 27.06.2024 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसके उत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि अन्तर का मिलान कर आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक प्रतीत नहीं है क्योंकि PRYA सॉफ्टवेयर में आंकड़ों का संधारण किया जाना पंचायती राज विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनिवार्य है

अत: दोनों अन्तर की छानबीन व पुनर्मिलान करके वस्तु स्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

10.6 महत्वपूर्ण रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार न करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 29 से 31 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	01	12
2.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30
3.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	----	15(1)
4.	माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
5.	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)

6.	निर्माण कार्य रजिस्टर	--------	103
7.	तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आकलन का रजिस्टर	31	95(1)
8 .	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) ए व बी

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-12, दिनांक 27.06.2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि " भविष्य में विहित रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा ।"

अत: भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11. भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करवाने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण,सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत झुलाडा की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया था जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

अत: मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12. लघु आपत्ति विवरणिका:- लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है। अपितु समय-समय पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं, नियमों/प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया।

13. **निष्कर्ष** :- उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत न केवल लेखों के सुधार अपितु नियमानुसार कार्रवाई न करके वित्तीय व विविध अनियमिततायें की जा रही है। यह बात उच्चाधिकारियों के समक्ष विशेष तौर पर इस आशय से लाई जाती है कि, उक्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में पंचायत के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये जायें।

02.9.24

02 SEP 2024

(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

4393-4397 फा0/61

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) 15 (7) 160/2024 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा हि0प्र0।

पंजीकृत 5. सचिव, ग्राम पंचायत झुलाड़ा, विकास खण्ड चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

02 SEP 2024 02.9.24

(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

फा0/61

परिशिष्ट-1 पैरा संख्या 4.1(ख)(i) के संदर्भ में

Financial Position of Own Sources in r/o		" GP JHULARA "		Dev. Block CHAMBA	Distt Chamba H.P
Year	Op.Balance	Receipt	Total	Expenditure	Closing Balance
2022-23	675025	181230	856255	185359	670896
2023-24	670896	92553	763449	19327	744122

0

प्रधान
ग्राम पंचायत झुलाड़ा
विकास खंड चम्बा (हि०प्र०)

Grant in aid in r/o Gram Panchayat	" GP JHULARA "	Dev. Block Chamba	Distt Chamba HP-176319	Year Ended	2022-23
Sr.no.	**Particulars**	**Op.Balance**	**Receipt**	**Total**	**Expenditure**	**Closing Balance**

Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	Total	Expenditure	Closing Balance
1	SDP	50000	33870	83870	0	83870
2	IAY/RAY	45755	1382	47137	0	47137
3	VKVNY	50220	149800	200020	149800	50220
4	Water Shed	92058	1226	93284	93284	0
5	SBM	129000	0	129000	129000	0
	ICDS	0	0	0	0	0
6	5TH SFC	380257	267640	647897	577487	70410
7	14thfc	1466112	24474	1490586	959800	530786
8	15thfc	1030563	892525	1923088	325670	1597418
9	MGNREGA	0	8819116	8819116	8819116	0
10	MMGPY	194483	94483	288966	194480	94486
11	BRGF	5044	141	5185	0	5185
12	13THFC	0	500000	500000	0	500000
13	Relief	108200	97881	206081	0	206081
	Total	3551692	10882538	14434230	11248637	3185593

Grant in aid in r/o Gram Panchayat		" GP JHULARA "	Dev. Block Chamba	Distt Chamba HP-176319	Year Ended	2023-24
1	SDP	83870	0	83870	83870	0
2	IAY/RAY	47137	2015	49152	0	49152
3	VKVNY	50220	607905	658125	635024	23101
4	WATER SHED	0	0	0	0	0
5	SBM	0	0	0	0	0
	ICDS	0	80000	80000	54264	25736
6	5rd STATE	70410	241990	312400	232125	80275
7	14thfc	530786	1720	532506	532506	0
8	15thfc	1597418	145897	1743315	1328067	415248
9	MGNREGA	0	11538508	11538508	11538508	0
10	MMGPY	94486	0	94486	0	94486
11	BRGF	5185	16	5201	5201	0
12	13THFC	500000	0	500000	0	500000
13	SDRF	0	105000	105000	0	105000
14	Relief	206081	15250	221331	65250	156081
15	BASP	0	138000	138000	0	138000
	Total	3185593	12876301	16061894	14474815	1587079

Balance as per cash book as on 31.03.2024

1	Cash Book Balance on 31.03.2024		Own sources			744122
2	Cash Book Balance on 31.03.2024		SDP			0
3	Cash Book Balance on 31.03.2024		IAY/RAY			49152
4	Cash Book Balance on 31.03.2024		VKVNY			23101
5	Cash Book Balance on 31.03.2024		WATER SHED			0
6	Cash Book Balance on 31.03.2024		SBM			0
	Cash Book Balance on 31.03.2024		ICDS			25736
7	Cash Book Balance on 31.03.2024		5rd STATE			80275
8	Cash Book Balance on 31.03.2024		14thfc			0
9	Cash Book Balance on 31.03.2024		15thfc			415248
10	Cash Book Balance on 31.03.2024		MGNREGA			0
11	Cash Book Balance on 31.03.2024		MMGPY			94486
12	Cash Book Balance on 31.03.2024		BRGF			0
13	Cash Book Balance on 31.03.2024		13THFC			500000
14	Cash Book Balance on 31.03.2024		Relief			105000
15	Cash Book Balance on 31.03.2024		SDRF			156081
16	Cash Book Balance on 31.03.2024		BASP			138000
					Total	2331201

	Balance as Per Bank on 31.03.24					
	A/c No	Branch	Head			
1	17910107005,	HPSCB CHAMBA	SF/SFC/SBM/SDP/SDRF/RELIEF/BASP/13 TH FC /VKVNY/			1924599
2	99050100009256,	HPGB PUKHRI	14TH FC			0
3	50100338638848,	HDFC CHAMBA	15TH FC			415174
4	99058100039407,	HPGB PUKHRI	IWMP			0
5	99051300504839,	HPGB PUKHRI	BRGF			0
6	17910108204	HPSCB CHAMBA	IAY/RAY			49152
		Cash In Hand				0
.	Total					2388925
					Diffrence	-57724

ग्राम पंचायत

परिशिष्ट-3 पैरा संख्या 7.2 के संदर्भ में

शादी पंजीकरण शुल्क ग्राम पंचायत झुलाडा

क्र संख्या	विवाह पंजीकरण संख्या	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	वसूली योग्य राशी	वसूली गई राशी	सरकारी कोष में जमा न की गई राशी
1	21	रविकुमार	13/4/22	29/4/22	200	200	200
2	22	बंटू	16/4/22	29/4/22	25	25	25
3	23	कुलदीप कुमार	20/4/22	12/5/22	200	200	200
4	24	निशांत अवस्थी	28/5/22	28/5/22	200	200	200
5	25	बृजलाल	09/5/22	28/5/22	25	25	25
6	26	ओंकार सिंह	13/5/22	28/5/22	25	25	25
7	27	हेम राज	25/5/22	24/6/22	200	200	200
8	28	खेतो राम	8/7/22	03/8/22	25	25	25
9	29	सुनील कुमार	14/7/22	3/8/22	25	25	25
10	30	राजिन्द्र कुमार	20/7/22	3/8/22	25	25	25
11	31	तिलक राज	20/7/22	3/8/22	25	25	25
12	32	विनोद कुमार	29/8/22	7/9/22	25	25	25
13	33	विनोद कुमार	2/8/22	11/9/22	50	50	50
14	34	बिन्दु	08/8/22	01/10/22	50	50	50
15	35	केहर सिंह	26/9/22	23/11/22	25	25	25
16	36	रवि कुमार	2/12/22	14/12/22	100	100	100
17	37	विरेन्द्र कुमार	19/12/22	19/12/22	25	25	25
18	1	सुशील	23/2/23	28/2/23	400	400	400
19	2.	राकेश कुमार	18/2/23	02/3/23	100	100	100
20	3.	प्रवीन कुमार	9/2/23	2/3/23	100	100	100
21	4	विपन कुमार	15/2/23	7/3/23	100	100	100
22	5.	प्रवीन कुमार	8/3/23	17/3/23	100	100	100
23	6.	मनोज कुमार	24/6/23	11/7/23	100	100	100
24	7.	पंकज कुमार	28/6/23	11/7/23	25	25	25
25	8	प्रविन्द्र कुमार	30/6/23	24/7/23	100	100	100
26	9	अतुल सिंह	21/10/23	7/11/23	100	100	100
27	10	वीरेन्द्र कुमार	8/11/2023	20/11/2023	25	25	25
28	11	हेम राज	22/9/23	20/11/23	55	55	55
29	12	बिट्टू राम	22/10/23	25/11/23	112	112	112
30	13	सुनील कुमार	22/11/23	1/12/23	100	100	100
31	14	सत पाल	22/11/23	11/12/23	25	25	25
					2692	2692	2692

36

पैरा - 4 बिन्दु संख्या 8-3 व 8-4 के संदर्भ में

DETAIL OF VENDER/SUPPLIER IN R/O GP JHULADA D.B CHAMBA FROM WHICH ROYALITY & GST PAID BUT CHALLAN NOT PRODUCED IN AUDIT

01-04-2022 TO 31-03-2024

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/Bill DATE	NAME OF MATERIAL	QTY. M3	QTY. TONNE	RATE OF ROYALITY	ROYLITY NOT PAID	AMOUNT PAID	AMOUNT TO BE PAID	GST CHALLAN NOT PRODUCED IN AUDIT
1	MUKESH KUMAR GOVT CONT. PO JHULADA	5TH SFC	25/02.08.22	SAND	14	22.68	80	1814.4	15386.0	14653.3	732.7
2	YASHPAL S/O CHET RAM PO JHULADA	VKVNY	09/29.05.23	STONE	24	53.76	80	4300.8	28288.0	26941.0	1347.0
3	Mahadev Trading Co. Vill Hatdi P.O. Jhulada	Mgnrega	76 dated1/7/2021	stone	74.00	165.76	80	13260.8	49580.0	47219.0	2361.0
4	Mahadev Trading Co. Vill Hatdi P.O. Jhulada	Mgnrega	77 dated1/7/2021	stone	32.00	71.68	80	5734.4	21500.0	20476.2	1023.8
5	Mahadev Trading Co. Vill Hatdi P.O. Jhulada	Mgnrega	78 dated1/7/2021	stone	74.00	165.76	80	13260.8	49580.0	47219.0	2361.0
6	Mahadev Trading Co. Vill Hatdi P.O. Jhulada	Mgnrega	79 dated1/7/2021	stone	62.41	139.80	80	11183.9	41814.7	39823.5	1991.2
7	Mukesh Kumar Govt Con. Vill Jakhori PO Jhulada	Mgnrega	83 dated15/07/2021	sand	13.01	21.08	80	1686.1	14298.0	13617.1	680.9
8	Mukesh Kumar Govt Con. Vill Jakhori PO Jhulada	Mgnrega	88 dated15/07/2021	sand	13.01	21.08	80	1686.1	14298.0	13617.1	680.9
9	Mukesh Kumar Govt Con. Vill Jakhori PO Jhulada	Mgnrega	93 dated15/07/2021	sand	8.24	13.35	80	1067.9	9055.0	8623.8	431.2
10	Mukesh Kumar Govt Con. Vill Jakhori PO Jhulada	Mgnrega	94 dated15/07/2021	sand	6.18	10.01	80	800.9	6792.0	6468.6	323.4
11	Mukesh Kumar Govt Con. Vill Jakhori PO Jhulada	Mgnrega	95 dated 15/07/2021	Agg	0.58	1.10	80	88.2	695.0	661.9	33.1
12	Mukesh Kumar Govt Con. Vill Jakhori PO Jhulada	Mgnrega	98 dated15/07/2021	sand	7.80	12.64	80	1010.9	8572.0	8163.8	408.2
13	Mukesh Kumar Govt Con. Vill Jakhori PO Jhulada	Mgnrega	112 dated15/09/2021	sand	40.00	64.80	80	5184.0	43960.0	41866.7	2093.3
14	Mukesh Kumar Govt Con. Vill Jakhori PO Jhulada	Mgnrega	113 dated15/09/2021	sand	40.00	64.80	80	5184.0	43960.0	41866.7	2093.3
15	Mukesh Kumar Govt Con. Vill Jakhori PO Jhulada	Mgnrega	114 dated15/09/2021	sand	13.41	21.72	80	1737.9	14737.0	14035.2	701.8
16	Mukesh Kumar Govt Con. Vill Jakhori PO Jhulada	Mgnrega	115 dated15/09/2021	Agg.	40.00	76.00	80	6080.0	47960.0	45676.2	2283.8
17	Mukesh Kumar Govt Con. Vill Jakhori PO Jhulada	Mgnrega	116 Dated 15/09/2021	Agg.	39.02	74.14	80	5931.0	46785.0	44557.1	2227.9
18	Mahadev Trading Co. Vill Hatdi P.O. Jhulada	Mgnrega	117 Dated31/12/2021	Shuttring	73.00	118.26	80	9460.8	13140.0	12514.3	625.7
19	Mahadev Trading Co. Vill Hatdi P.O. Jhulada	Mgnrega	118 Dated1/7/2021	stone	74.00	165.76	80	13260.8	49580.0	47219.0	2361.0
20	Mahadev Trading Co. Vill Hatdi P.O. Jhulada	Mgnrega	119 Dated1/7/2021	stone	26.00	58.24	80	4659.2	17420.0	16590.5	829.5
21	Mahadev Trading Co. Vill Hatdi P.O. Jhulada	Mgnrega	120 Dated31/12/2021	Shuttring	250.00	405.00	80	32400.0	45000.0	42857.1	2142.9
22	Mukesh Kumar Govt Con. Vill Jakhori PO Jhulada	Mgnrega	121 dated15/07/2021	sand	13.01	21.08	80	1686.1	14297.0	13616.2	680.8
23	Mahadev Trading Co. Vill Hatdi P.O. Jhulada	Mgnrega	122 dated7/9/2022	stone	20.00	44.80	80	3584.0	48800.0	46476.2	2323.8
24	2023-24							0.0			

सचिव
ग्राम पंचायत झुलाड़ा
विकास खंड चम्बा (हि०प्र०)

25	Mahadev Trading Co. Vill Hatdi P.O. Jhulada	Mgnrega	55 dated 11/9/2022	stone	20.00	44.80	80	3584.0	48800.0	46476.2	2323.8
26	Mahadev Trading Co. Vill Hatdi P.O. Jhulada	Mgnrega	56 dated15/09/2022	stone	20.00	44.80	80	3584.0	48800.0	46476.2	2323.8
27	Mahadev Trading Co. Vill Hatdi P.O. Jhulada	Mgnrega	57 dated/09/2022	stone	20.00	44.80	80	3584.0	48800.0	46476.2	2323.8
28	Mahadev Trading Co. Vill Hatdi P.O. Jhulada	Mgnrega	58 dated/09/2022	stone	20.00	44.80	80	3584.0	48800.0	46476.2	2323.8
29	Mahadev Trading Co. Vill Hatdi P.O. Jhulada	Mgnrega	59 Dated30/09/2022	stone	20.00	44.80	80	3584.0	48800.0	46476.2	2323.8
30	Mahadev Trading Co. Vill Hatdi P.O. Jhulada	Mgnrega	60 Dated1/12/2023	stone	20.00	44.80	80	3584.0	47853.0	45574.3	2278.7
31	Mahadev Trading Co. Vill Hatdi P.O. Jhulada	Mgnrega	61 Dated12/12/2022	stone	20.00	44.80	80	3584.0	48800.0	46476.2	2323.8
32	Mahadev Trading Co. Vill Hatdi P.O. Jhulada	Mgnrega	63 Dated23/12/2022	stone	20.00	44.80	80	3584.0	48753.0	46431.4	2321.6
33	Mahadev Trading Co. Vill Hatdi P.O. Jhulada	Mgnrega	64 Dated 2/1/2023	stone	20.00	44.80	80	3584.0	47853.0	45574.3	2278.7
34	Mahadev Trading Co. Vill Hatdi P.O. Jhulada	Mgnrega	65 Dated6/1/2023	stone	20.00	44.80	80	3584.0	47853.0	45574.3	2278.7
35	Mahadev Trading Co. Vill Hatdi P.O. Jhulada	Mgnrega	66 dated9/1/2023	stone	20.00	44.80	80	3584.0	47853.0	45574.3	2278.7
36	Mahadev Trading Co. Vill Hatdi P.O. Jhulada	Mgnrega	67 dated12/1/2023	stone	5.15	11.54	80	922.9	11963.0	11393.3	569.7
37	Mahadev Trading Co. Vill Hatdi P.O. Jhulada	Mgnrega	68 Dated8/9/2022	stone	20	44.80	80	3584.0	46004.0	43813.3	2190.7
38	Mahadev Trading Co. Vill Hatdi P.O. Jhulada	Mgnrega	68 Dated12/9/2022	stone	20	44.80	80	3584.0	46004.0	43813.3	2190.7
39	Mahadev Trading Co. Vill Hatdi P.O. Jhulada	Mgnrega	69 Dated16/09/2022	stone	20	44.80	80	3584.0	46004.0	43813.3	2190.7
40	Mahadev Trading Co. Vill Hatdi P.O. Jhulada	Mgnrega	70 Dated20/09/2022	stone	20	44.80	80	3584.0	46004.0	43813.3	2190.7
41	Mahadev Trading Co. Vill Hatdi P.O. Jhulada	Mgnrega	71 Dated27/09/2022	stone	20	44.80	80	3584.0	46004.0	43813.3	2190.7
42	Mahadev Trading Co. Vill Hatdi P.O. Jhulada	Mgnrega	72 Dated1/10/2022	stone	20	44.80	80	3584.0	46004.0	43813.3	2190.7
43	Mahadev Trading Co. Vill Hatdi P.O. Jhulada	Mgnrega	73 Dated2/12/2022	stone	20	44.80	80	3584.0	46004.0	43813.3	2190.7
44	Mahadev Trading Co. Vill Hatdi P.O. Jhulada	Mgnrega	74 Dated13/12/2022	stone	20	44.80	80	3584.0	46004.0	43813.3	2190.7
45	Mahadev Trading Co. Vill Hatdi P.O. Jhulada	Mgnrega	75 Dated24/12/2022	stone	20	44.80	80	3584.0	46004.0	43813.3	2190.7
46	Mahadev Trading Co. Vill Hatdi P.O. Jhulada	Mgnrega	76 Dated 3/1/2023	stone	20	44.80	80	3584.0	46004.0	43813.3	2190.7
47	Mahadev Trading Co. Vill Hatdi P.O. Jhulada	Mgnrega	77 Dated7/1/2023	stone	20	44.80	80	3584.0	46004.0	43813.3	2190.7
48	Mahadev Trading Co. Vill Hatdi P.O. Jhulada	Mgnrega	78 Dated24/11/2022	stone	20	44.80	80	3584.0	48263.0	45964.8	2298.2
49	Mahadev Trading Co. Vill Hatdi P.O. Jhulada	Mgnrega	79 Dated24/11/2022	stone	20	44.80	80	3584.0	48263.0	45964.8	2298.2
50	Mahadev Trading Co. Vill Hatdi P.O. Jhulada	Mgnrega	80 Dated7/10/2022	stone	20	44.80	80	3584.0	48263.0	45964.8	2298.2
51	Mahadev Trading Co. Vill Hatdi P.O. Jhulada	Mgnrega	81 Dated10/10/2022	stone	20	44.80	80	3584.0	48263.0	45964.8	2298.2
52	Mahadev Trading Co. Vill Hatdi P.O. Jhulada	Mgnrega	82 Dated22/12/2022	stone	20	44.80	80	3584.0	48263.0	45964.8	2298.2
53	Man singh Govt Con. Vill jakhori VPO Pukhari	Mgnrega	83 Dated26/06/2022	sand	10.67	32.4	80	2592.0	17586.0	16748.6	837.4
54	Man singh Govt Con. Vill jakhori VPO Pukhari	Mgnrega	84 dated26/06/2022	sand	10.16	32.4	80	2592.0	15201.0	14477.1	723.9
55	Man singh Govt Con. Vill jakhori VPO Pukhari	Mgnrega	85 Dated27/06/2022	sand	10.16	32.4	80	2592.0	15201.0	14477.1	723.9

87	jakhori VPO Pukhari	Mgnrega	117 dated29/06/2022	sand	12.24	32.4	80	2592.0	5148.0	4902.9	245.1
88	Mahadev Trading Co. Vill Hatdi P.O. Jhulada	Mgnrega	118 Dated 24/09/2022	stone	20	44.80	80	3584.0	47423.0	45164.8	2258.2
89	Mahadev Trading Co. Vill Hatdi P.O. Jhulada	Mgnrega	119 Dated4/10/2022	stone	20	44.80	80	3584.0	47423.0	45164.8	2258.2
90	Mahadev Trading Co. Vill Hatdi P.O. Jhulada	Mgnrega	120 Dated7/12/2022	stone	20	44.80	80	3584.0	47423.0	45164.8	2258.2
91	Mahadev Trading Co. Vill Hatdi P.O. Jhulada	Mgnrega	121Dated18/12/2022	stone	9.41	21.08	80	1686.3	22018.0	20969.5	1048.5
92	Mahadev Trading Co. Vill Hatdi P.O. Jhulada	Mgnrega	122 dated 25/09/2022	stone	20	44.80	80	3584.0	47423.0	45164.8	2258.2
93	Mahadev Trading Co. Vill Hatdi P.O. Jhulada	Mgnrega	123 Dated5/10/2022	stone	20	44.80	80	3584.0	47423.0	45164.8	2258.2
94	Mahadev Trading Co. Vill Hatdi P.O. Jhulada	Mgnrega	124 Dated11/12/2022	stone	20	44.80	80	3584.0	47423.0	45164.8	2258.2
95	Mahadev Trading Co. Vill Hatdi P.O. Jhulada	Mgnrega	125 Dated 20/12/2022	stone	9.41	21.08	80	1686.3	22017.8	20969.4	1048.5
96	Mahadev Trading Co. Vill Hatdi P.O. Jhulada	Mgnrega	126 Dated9/10/2022	stone	20	44.80	80	3584.0	47423.0	45164.8	2258.2
97	Mahadev Trading Co. Vill Hatdi P.O. Jhulada	Mgnrega	127Dt 11/10/2022	stone	20	44.80	80	3584.0	47411.8	45154.1	2257.7
98	Mahadev Trading Co. Vill Hatdi P.O. Jhulada	Mgnrega	128 Dated8/12/2022	stone	20	44.80	80	3584.0	47423.0	45164.8	2258.2
99	Mahadev Trading Co. Vill Hatdi P.O. Jhulada	Mgnrega	129Dated19/12/2022	stone	9.41	21.08	80	1686.3	22017.8	20969.4	1048.5
						4938.3244		395066.0	3835374.9	3652738.0	182636.9
			Add :- 25% panalty	395065.952	98766.49			98766.49			
			Total					493832.4			

Remarks:

1. All Figures are taken up to 2 Decimal
   Rate of Royalty is taken Rs 80 per Tonne as Per Second Schedule of Deptt. Of Industry & Mining
   Conversion Factor
2. **A. From Square Feet to Cubic Meter M3**
   35.31 Sq.Ft. = 1 Cubic Meter (M^3) — Common to all items Sand, Stone & Aggregate
3. **B. From Cubic Meter (M^3) to Tonne**
   One Cubic Meter (M^3) Sand 1.62
   One Cubic Meter (M^3) Aggregate 1.9
   One Cubic Meter (M^3) Stone 2.24
4. All items Sand, Stone & Aggre. **average weight** are taken for conversion while cubic meter to tonne.
5. As per quatation terms and condition Rate are inclusive of all Taxes but it is not cleared wether it is paid or not